जयपुर विकास प्राधिकरणए जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक–प.2 ( )जविप्रा / अ.आ / एल.पी.सी. / बैठक / 2024 / डी–   दिनांकः–

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 196वीं बैठक दिनांक 01.08.2024 को प्रातः 11:30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदया की अध्यक्षता में ''चिंतन सभा कक्ष'' में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गयेः–

क्र.सं	जोन	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.	–	196:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 195वीं बैठक दिनांक 25.07.2024 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लम्बित अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा बाबत।	भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की 195वीं बैठक दिनांक 25.07.2024 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई एवं लम्बित अनुपालना की समीक्षा की गई। आयुक्त महोदया द्वारा लंबित प्रकरणों में शीघ्र पालना करने के निर्देश दिये गए।
2	11	196:2	जविप्रा की आवासीय योजना आदित्य विहार के भूखण्ड संख्या 9 क्षेत्रफल 24 व.मी. द्वारा भूखण्ड संख्या 10 के 24 व.मी. क्षेत्रफल के अतिक्रमण का नियमितिकरण करने हेतु।	जविप्रा की आवासीय योजना आदित्य विहार के भूखण्ड संख्या 9 क्षेत्रफल 24 व.मी. द्वारा भूखण्ड संख्या 10 के 24 व.मी. क्षेत्रफल के अतिक्रमण का नियमितिकरण करने हेतु एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर निर्णय लिया कि निर्धारित नीति अनुसार भूखण्ड संख्या 9 को दिये जाने वाले अतिरिक्त भू–पट्टी क्षेत्रफल 24 व.मी. को आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन किया जावे तथा आवंटन पश्चात् भूखण्ड संख्या 10 को उपलब्ध होने वाले क्षेत्रफल का संशोधित साईट प्लान जारी कर तथा कम हुई भूमि क्षेत्रफल के पेटे जमा राशि को नियमानुसार लौटाया जावे।
3	11	196:3	जविप्रा की आवासीय योजना प्रियदर्शनी नगर ग्राम मुहाना के सुविधा क्षेत्र में से 750 व.मी भूमि पी.एच.ई.डी विभाग को आवंटन करने हेतु।	जविप्रा की आवासीय योजना प्रियदर्शनी नगर ग्राम मुहाना के सुविधा क्षेत्र में से 750 व.मी भूमि पी.एच.ई.डी विभाग को आवंटन करने हेतु एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर आवासीय योजना प्रियदर्शनी नगर ग्राम मुहाना के सुविधा क्षेत्र में से 1000 व.मी. तक भूमि पी.एच.ई. डी. विभाग को निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय

रामकिशोर व्यास भवनए इन्दिरा सर्किलए जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर.302004
दूरभाष.ई91.0141.2570122द्व रू ईपीबीएक्स .910141.2569696 एक्सटेंशन.ई.7019द्वरू फैक्स. 91.141.2574555
ई-मेल : {aclpc.jda@rajasthan.gove.in}

RajKaj Ref 9483678

Signature valid
Digitally signed by Priya Balram Sharma
Designation : Additional Commissioner
Date: 2024.08.08 2[illegible]:30:54 IST
Reason: Approved

				लिया गया।
4	11	196:4	सेज पुनर्वास योजना ग्राम झाई के आवासीय भूखण्ड संख्या 632 क्षेत्रफल 900 व.मी. का क्षेत्रफल 1056.06 व.मी होने से बढे हुए क्षेत्रफल 156.06 व.मी. भूमि आवंटन बाबत्।	सेज पुनर्वास योजना ग्राम झाई के आवासीय भूखण्ड संख्या 632 क्षेत्रफल 900 व.मी. का क्षेत्रफल 1056.06 व.मी होने से बढे हुए क्षेत्रफल 156.06 व.मी. भूमि आवंटन बाबत् एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर नगरीय विकास विभाग द्वारा गठित एम्पावर्ड कमेटी के निर्णय दिनांक 01.10.2013 में एजेण्डा सेज में भूमि/भू–पट्टी आवंटन से संबंधित आईटम नं. 4 को प्रत्याहरित नहीं किये जाने की सुनिश्चितता जोन स्तर पर कर सेज पुनर्वास योजना ग्राम झाई के आवासीय भूखण्ड संख्या 632 क्षेत्रफल 900 व.मी. का क्षेत्रफल 1056.06 व.मी होने से बढे हुए क्षेत्रफल 156.06 व.मी. भूमि का आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन किया जावे।
5	12	196:5	ग्राम धर्मपुरा तहसील कालवाड में जविप्रा स्वामित्व के खसरा नं. 1/84 किस्म बारानी 3 रकबा 2.5293 हैक्टेयर भूमि सैटेलाईट अस्पताल हेतु आवंटित किये जाने बाबत्।	ग्राम धर्मपुरा तहसील कालवाड में जविप्रा स्वामित्व के खसरा नं. 1/84 किस्म बारानी 3 रकबा 2.5293 हैक्टेयर भूमि सैटेलाईट अस्पताल हेतु आवंटित किये जाने बाबत् एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर ग्राम धर्मपुरा तहसील कालवाड में जविप्रा स्वामित्व के खसरा नं. 1/84 किस्म बारानी 3 रकबा 2.5293 हैक्टेयर भूमि में से 10,000 व.मी. भूमि सैटेलाईट हॉस्पिटल हेतु निःशुल्क आवंटन की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया जावे।
6.	12	196:6	अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभि. विभाग, परियोजना खण्ड–द्वितीय (उत्तर) जयपुर को निजी खातेदारी योजना उपासना संगम सिटी–प्रथम ग्राम महाराजपुरा तहसील जयपुर में आरक्षित सुविधा क्षेत्र क्षेत्रफल 4068.00 वर्गगज में से 1196.00 वर्गगज (1000 व.मी) भूमि उच्च	अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभि. विभाग, परियोजना खण्ड–द्वितीय (उत्तर) जयपुर को निजी खातेदारी योजना उपासना संगम सिटी–प्रथम ग्राम महाराजपुरा तहसील जयपुर में आरक्षित सुविधा क्षेत्र क्षेत्रफल 4068.00 वर्गगज में से 1196.00 वर्गगज (1000 व.मी) भूमि उच्च जलाशय (पानी की टंकी) के निर्माण हेतु आवंटन के क्रम में एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर विभाग से निर्धारित प्रारूप में आवेदन एवं आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति जोन स्तर पर

RajKaj Ref
9483678

Signature valid
Digitally signed by Priya Balram Sharma
Designation : Additional Commissioner
Date: 2024.08.08 2?:30:54 IST
Reason: Approved

			जलाशय (पानी की टंकी) के निर्माण हेतु आवंटन के क्रम में।	कराई जाकर अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभि. विभाग, परियोजना खण्ड–द्वितीय (उत्तर) जयपुर को निजी खातेदारी योजना उपासना संगम सिटी–प्रथम ग्राम महाराजपुरा तहसील जयपुर में आरक्षित सुविधा क्षेत्र क्षेत्रफल 4068.00 वर्गगज में से 1000 व.मी. भूमि निःशुल्क आवंटन किया जावे।
7.	12	196:7	जविप्रा की आवासीय योजना रजत विहार में आवंटित भूखण्ड संख्या बी–294 क्षेत्रफल 252.00 व.मी. के स्थान पर इसी योजना के सी ब्लॉक में सी–384 से 389, 391, 392, 394, 395 व 396 क्षेत्रफल 252.00 व.मी. में से एक भूखण्ड विनिमय में दिये जाने बाबत्।	जविप्रा की आवासीय योजना रजत विहार में आवंटित भूखण्ड संख्या बी–294 क्षेत्रफल 252.00 व.मी. के स्थान पर इसी योजना के सी ब्लॉक में सी–384 से 389, 391, 392, 394, 395 व 396 क्षेत्रफल 252.00 व.मी. में से एक भूखण्ड विनिमय में दिये जाने बाबत् एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर जविप्रा की आवासीय योजना रजत विहार में आवंटित भूखण्ड संख्या बी–294 क्षेत्रफल 252.00 व.मी. भूमि स्थगन आदेश से प्रभावित होने के कारण इसी योजना के सी ब्लॉक में से सी–384 से 389, 391, 392, 394, 395 व 396 क्षेत्रफल 252.00 व.मी. में से एक भूखण्ड लॉटरी के माध्यम से आवंटित किया जावे। साथ ही उपायुक्त को निर्देशित किया गया कि प्रकरण में राजस्व न्यायालय के स्थगन तथा स्थगन के विरूद्ध जविप्रा द्वारा दायर अपील की तथ्यात्मक स्थिति प्रस्तुत कर प्रकरण में जविप्रा की ओर से प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जावे।
अध्यक्ष महोदया की अनुमति से निम्नाकिंत अतिरिक्त एजेण्डा पर विचार–विर्मश कर निम्नानुसार निर्णय लिये गये।				
8.	8	196:8	बीसलपुर पृथ्वीराज नगर पेयजल परियोजना फेज–प्रथम स्टेज प्रथम एवं फेज–द्वितीय के अंतर्गत उच्च जलाशय निर्माण हेतु निःशुल्क भूखण्ड आवंटन करने बाबत्।	बीसलपुर पृथ्वीराज नगर पेयजल परियोजना फेज–प्रथम स्टेज प्रथम एवं फेज–द्वितीय के अंतर्गत उच्च जलाशय निर्माण हेतु निःशुल्क भूखण्ड आवंटन करने बाबत् एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर बीसलपुर पृथ्वीराज नगर पेयजल परियोजना फेज–प्रथम स्टेज प्रथम एवं फेज–द्वितीय के अंतर्गत उच्च जलाशय निर्माण हेतु 1000 व.मी. निःशुल्क आवंटन किया जावे।
9.	11	196:9	मैसर्स दुलेत प्रोपर्टीज एलएलपी	मैसर्स दुलेत प्रोपर्टीज एलएलपी जरिये पार्टनर श्री किशन दुलेत पुत्र श्री हरी नारायण

RajKaj Ref 9483678

Signature valid
Digitally signed by Priya Balram Sharma
Designation : Additional Commissioner
Date: 2024.08.08 2?:30:54 IST
Reason: Approved

			जरिये पार्टनर श्री किशन दुलेत पुत्र श्री हरी नारायण मीणा द्वारा ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर की प्रस्तावित आवासीय योजना डीपीएस ग्रीन विला के पहुंच मार्ग हेतु जविप्रा स्वामित्व की 442.45 व.मी. भूमि आवंटन बाबत्।	मीणा द्वारा ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर की प्रस्तावित आवासीय योजना डीपीएस ग्रीन विला के पहुंच मार्ग हेतु जविप्रा स्वामित्व की 442.45 व.मी. भूमि आवंटन करने अथवा उक्त भूमि की प्लानिंग कर जविप्रा द्वारा स्वयं की योजना/भूखण्ड सृजित कर नीलामी के माध्यम से निस्तारित किये जाने बाबत् एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर जेडीए स्वामित्व की भूमि **के** नीलामी संबंधी प्रस्ताव का मौका स्थिती अनुसार जोन स्तर पर पूर्ण परिक्षण **कराने** का निर्णय लिया गया।

सामान्य निर्देशः–

- राजकीय कार्यालयों/सार्वजनिक उपयोग के संस्थान/समाज/ट्रस्ट आदि के भूमि आवंटन संबंधी पत्र/ आवेदन पत्र जोन कार्यालय को प्राप्त होने पर तुरंत आवश्यक कार्यवाही हेतु अनिवार्य रूप से एलपीसी शाखा को प्रेषित किये जाये।
- राजकिय विभागों/सार्वजनिक उपयोग के संस्थानों के भूमि आवंटन संबंधी प्रकरणों में प्राथमिकता से भूमि चिन्हीकरण कर आवंटन हेतु एजेण्डा सक्षम समिति में निर्णयार्थ रखे जाने हेतु एलपीसी शाखा को प्रस्तुत किये जाये।
- कार्यालय/विभाग द्वारा सुझाऐ गये भूमि विकल्प के आवंटन योग्य नहीं होने की स्थिति में विभाग को जोन कार्यालय द्वारा अन्य विकल्प उपलब्ध करवाया जावे।
- आवंटित/आवंटन योग्य भूमि पर अतिक्रमण की दशा में प्रकरण को गंभीरता से लेकर जोन कार्यालय में प्रवर्तन शाखा द्वारा आपसी समन्वय से अतिक्रमण को शीघ्र ही हटाये जाने की कार्यवाही की जावे।
- जिन प्रकरणों में भूमि आवंटन किया जाना संभव नहीं हो उनमें संबंधित विभागों को वस्तुस्थित से अवगत करवाया जावे।
- जविप्रा/निजी खातेदारी की योजनाओं में स्थित फैसिलिटी/यूटिलिटी हेतु उपलब्ध भूखण्ड व आवंटन हेतु उपलब्ध क्षेत्रफल की जोनवार व योजनावार सूची तैयार कर एक माह में लैण्ड बैंक शाखा को सूचित किया जावे।
- बैठक में जिन राजकीय विभागों/संस्थाओं/आवंटियों के भू–आवंटन प्रस्तुत किये जाने हो उन विभागों के प्रतिनिधि को भी बैठक में आमंत्रित किया जावे।

सदस्य सचिव एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)

RajKaj Ref
9483678

Signature valid
Digitally signed by Priya Balram Sharma
Designation : Additional Commissioner
Date: 2024.08.08 20:30:54 IST
Reason: Approved

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ठ सहायक, मा0 मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
5. निदेशक (वित्त/अभियांत्रिकी–I, II/नगर–आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
6. अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि/प्रशासन), जविप्रा, जयपुर।
7. संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेंट/संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर।
8. विशेषाधिकारी (आर. एण्ड एम.), जविप्रा, जयपुर।
9. अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर।
10. उपायुक्त जोन–1 से 14, पृथ्वीराज नगर (उत्तर–प्रथम व द्वितीय) (दक्षिण–प्रथम व द्वितीय)।
11. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा को कार्यवाही विवरण स्केन कर जविप्रा वेबसाईट पर अपलोड करने के लिये।
12. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

सदस्य सचिव एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)

Signature valid

Digitally signed by Priya Balram Sharma
Designation : Additional Commissioner
Date: 2024.08.08 2_:30:54 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref
9483678